चन्दाराम बनाम सरोज देवी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दावा मु०नं० 278/2021

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

23/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादी ने कथन किया माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2023 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षो को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया। अवलोकन से पाया गया कि पक्षकारान/खातेदारान के मध्य मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिस पर उभय पक्ष भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/6778 दिनांक 17.11.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी ख0न0 354, 355, 356, 357, 358, 359 किता 6 रकबा 1.77 हैक्ट. अवस्थित ग्राम झिराणा तहसील नीमकाथाना का विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner